फर्द अहकाम

बद्रीदास बनाम किशनदास वगै0

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

मुकदमा नम्बर ....55...../2025 दावा बाबत तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

जीसीएमएस संख्याः 2025/

सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	02.05.2025	वादी की ओर से यह वादपत्र जरिये विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक कुमार सैनी, उपवन व निर्मल के द्वारा पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता ली जाकर वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को नोटिस जरिये रजिस्टर्ड डाक से जारी होकर पत्रावली वास्ते तल्बी हेतू दिनांक 09.06.2025 को पेश हों। उपखण्ड अधिकारी पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)	
	9.6.25	वकुलाये फरीकेन उपस्थित पीठासीन अधिकारी दौरे/अवकाश/प्रशा.कार्यों में व्यस्त है पत्रावली दिनांक...02.7.25 को पेश हो।	
	02.7.25	वकुलाये फरीकेन उपस्थित पीठासीन अधिकारी दौरे/अवकाश/प्रशा.कार्यों में व्यस्त है पत्रावली दिनांक...18.7.25 को पेश हो।	
	14.07.25	पत्रावली आज वादी व वादी Adv द्वारा प्रार्थना पत्र 9/3 पर व T.I. को विड्रो कर खारिज करने का प्रार्थना होने पर निपत किया जाने हेतु तल्ब की गयी। वादी/वादी Adv ने आदेशिका पर हस्ताक्षर कर निवेदन किया कि हम परस्पर राजीनामा हो गया है। वादी व T.I. को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। इसलिए दावा व T.I. को विड्रो कर खारिज फरमाया जावे। बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर शामिल मिसल किया गया। वादी/वादी Adv का निवेदन स्वीकार कर वादपत्र विड्रो कर खारिज किया जाता है। पत्रावली कैंसल शुमार होकर पर्ज करने के बाद दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी पावटा (जिला–कोटपूतली बहरोड़)	

Identify hide